स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 98, दिनांकः 30–03–2025

उत्तर प्रदेश में आतंक का पर्याय बने व हत्या, लूट, डकैती जैसी संगीन घटनायें करने वाला मुख्तार अंसारी व अन्य गिरोह के लिए भाड़े पर हत्या करने वाला कुख्यात व दुर्दान्त अपराधी व कई अभियोगों में वांछित रूपये–2,50,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी अनुज कनौजिया की एसटीएफ के साथ जमशेदपुर (झारखण्ड) में हुई साहसिक मुठभेड़ में मृत घोषित।

दिनांक 29/30–03–2025 की रात्रि में एसटीएफ उ0प्र0 एवं झारखण्ड पुलिस की संयुक्त रूप से कार्यवाही के दौरान थाना गोविन्दपुर, जनपद–पूर्वी सिंहभूमि जमशेदपुर (झारखण्ड) में उत्तर प्रदेश में आतंक का पर्याय बने व हत्या, लूट, डकैती जैसी संगीन घटनायें करने वाला मुख्तार अंसारी व अन्य गिरोह के लिए भाड़े पर हत्या करने वाला कुख्यात व दुर्दान्त अपराधी व कई अभियोगों में वांछित रूपये 2,50,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी अनुज कनौजिया के साथ हुई साहसिक मुठभेड़ में वह घायल हो गया जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी।

अभियुक्त का विवरण–

अनुज कन्नौजिया पुत्र हनुमान कन्नौजिया निवासी ग्राम बहलोलपुर, थाना चिरैयाकोट, जिला मऊ।

अभियुक्त से बरामदगी–

1– 01 अदद पिस्टल 0.9 एमएम सरकारी ब्राउनिंग पिस्टल।
2– 01 अदद पिस्टल 32 बोर
3– भारी मात्रा जीवित व खोखा कारतूस।
4– 02 अदद जिन्दा हथगोला बम।

घटनास्थल का दिनांक/समय/स्थान–

दिनांक 29/30–03–2025 की रात्रि। स्थान– थाना क्षेत्र गोविन्दपुरी के अमलतास सिटी के भूमिहार मेन्शन में।

स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से वांछित/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होने की सूचना प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/ टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री धर्मेश कुमार शाही, पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ, लखनऊ के नेतृत्व मे एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ एवं फील्ड इकाई गोरखपुर टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि कुख्यात अपराधी अनुज कनौजिया उपरोक्त जिसके विरूद्ध लगभग दो दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है एवं इसके विरूद्ध रू0 ढाई लाख का पुरस्कार भी घोषित है। वह गिरफ्तारी से बचने के लिए व गिरोह संचालन के लिए जिला पूर्वी सिंहभूमि (जमेशदपुर) झारखण्ड में छिपकर रह रहा है तथा

अपने विरूद्ध पंजीकृत अभियोगों के गवाहो एवं पैरोकारो की हत्या की साजिश कर रहा है। पूर्व में इसके द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर मुख्तार अंसारी के इशारे पर अपने व अपने गिरोह के विरूद्ध गवाही देने वाले, मुकदमों की पैरवी करने वाले व उनके सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मी की हत्या की जा चुकी है।

इस सम्बन्ध में एसटीएफ मुख्यालय एवं फील्ड इकाई, गोरखपुर की टीमों द्वारा जनपद पूर्वी सिंह भूमि (जमशेदपुर) व झारखण्ड के अन्य जनपदों में रहकर सुरागरसी पतारसी की जा रही थी। अभिसूचना संकलन से ज्ञात हुआ कि अनुज कनौजिया थाना क्षेत्र गोविन्दपुरी के अमलतास सिटी के भूमिहार मेन्शन में अपने गिरोह के सदस्यों के साथ छिपकर रह रहा है तथा यही से गिरोह का संचालन कर रहा है। इस सूचना पर तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए श्री धर्मेश कुमार शाही पुलिस उपाधीक्षक एस०टी०एफ० मुख्यालय उ०प्र० लखनऊ, निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह, निरीक्षक राघवेन्द्र सिंह, उ0नि0 प्रदीप सिंह, उ०नि० यशवंत सिंह, मु०आ० महेन्द्र प्रताप सिंह, मु०आ०मु०आ० अशोक कुमार सिंह, मु0आ0 चन्द्र भूषण सिंह, मु0आ0 रामनिवास शुक्ला, कमान्डो विजय कुमार वर्मा द्वारा इस सूचना से एटीएस झारखण्ड रॉची को अवगत कराते हुए एटीएस झारखण्ड रॉची के टीम के साथ संयुक्त रूप से अमलतास सिटी भूमिहार मेंशन की घेराबन्दी की गयी तथा अभियुक्त उपरोक्त की गिरफ्तारी का प्रयास किया गया तथा बदमाशों को बार–बार आत्म समर्पण हेतु कहा गया व चेतावनी दी गयी, जिस पर वहॉ मौजूद बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से अन्धाधुन्ध फायरिंग व बमों से हमला किया गया। बदमाशों द्वारा की गयी फायरिंग व बमों से किये गये हमलें में पुलिस उपाधीक्षक धर्मेश कुमार शाही गम्भीर रूप घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ फायरिंग से पुलिस टीम पर फायर कर रहा एक बदमाश गम्भीर रूप से घायल हो गया जिसकी पहचान अनुज कनौजिया उपरोक्त के रूप में हुई। मौके पर आये डाक्टरों की टीम द्वारा घायल अभियुक्त को मृत घोषित किया गया तथा घायल पुलिस उपाधीक्षक को टीएमएच अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक बदमाश की पहचान अनुज कन्नौजिया पुत्र हनुमान कन्नौजिया निवासी ग्राम बहलोलपुर, थाना चिरैयाकोट, जिला मऊ हिस्ट्रीशीटर संख्या 38ए के रूप में हुई।

मुठभेङ के दौरान एसटीएफ टीम द्वारा अदम्य साहस व शौर्य का प्रदर्शन किया गया तथा मा0 मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया।

मृतक अनुज कनौजिया पिछले करीब 25 वर्षो से उत्तर प्रदेश में आतंक का पर्याय बना हुआ था। पैसा लेकर भाड़े पर हत्या करने वाला, कुख्यात व दुर्दान्त अपराधी था, जिसके विरुद्ध जघन्य हत्या, लूट व हत्या के प्रयास रंगदारी वसूलने के लगभग दों दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है। यह अपराधी मु0अ0सं0–891/2010 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट, थाना दक्षिणटोला, जनपद मऊ में यह वाँछित चल रहा था, जिस पर इसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्याः डीजी–सात–एस–14(12)/2025 दिनांक 27–03–2025 के माध्यम से रूपये–2,50,000/– का पुरस्कार घोषित किया गया था।

अनुज कनौजिया उपरोक्त आपराधिक गतिविधियाँः–

1. दिनांक 13–06–2003 को अपने गिरोह के सदस्यों के साथ पुरानी रंजिश को लेकर थाना क्षेत्र रानीपुर, मऊ में शरद सिंह पुत्र शिवाजी सिंह की हत्या कर दिया था।

2. दिनांक 21—10—2006 को अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर कृष्णपाल सिंह उर्फ गुड्डा सिंह पुत्र उमाशंकर सिंह जो कि वर्ष—2003 में थाना रानीपुर में हुई शरद की हत्या में मुख्य गवाह व मृतक के चाचा थे, कि उनके घर के सामने दिनदहाड़े हत्या किया था।
3. दिनांक 20—04—2009 को थाना क्षेत्र दुल्लहपुर में मनोज वर्मा की गोली मारकर हत्या किया था।
4. दिनांक 29—08—2009 को थाना क्षेत्र कोतवाली मऊ में अपने साथियों के साथ मिलकर मऊ निवासी मन्ना सिंह व उनके साथी राजेश राय की एके—47 से गोली मारकर निर्मम हत्या किया था।
5. दिनांक 19—03—2010 को थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ क्षेत्रान्तर्गत मऊ के चर्चित मन्ना सिंह हत्याकाण्ड के गवाह राम सिंह मौर्य पुत्र रूप चन्द मौर्य निवासी फलेपुर, थाना रानीपुर, जनपद मऊ व उसकी सुरक्षा में चल रहे आरक्षी सतीश कुमार की गोली मारकर हत्या किया था।
6. दिनांक 06—02—2014 को मुख्तार अंसारी के इशारे पर अपने गिरोह के साथ आजमगढ़ के थाना क्षेत्र तरवॉ में एराकला गॉव में ठेकेदार राजेश सिंह पर स्वचलित हथियारों से अन्धाधुन्ध फायरिंग करके जानलेवा हमला किया गया था जिसमें एक मजदूर रामइकबाल की मृत्यु हो गयी थी एवं पॉचू नाम का एक मजदूर घायल हो गया था।

उल्लेखनीय है कि अनुज कनौजिया वर्तमान में जनपद पूर्वी सिंहभूमि में रहते हुए उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, वाराणसी, बिहार व झारखण्ड में नये लड़कों का एक गिरोह बनाकर पैसे लेकर इन जनपदों में ठेके पर हत्या, लूट एवं रंगदारी टैक्स के कार्यों में प्रबन्धन का कार्य किया जाता था। यह मुख्तार अंसारी व बिहार/झारखण्ड के अन्य माफिया गिरोहों के लिए भाड़े पर हत्या करता था।

उत्तर प्रदेश पुलिस
प्रतिबद्धता

<u>अनुज कनौजिया का आपराधिक इतिहास निम्नवत् है:—</u>

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	**106/2003**	**147,148,149,352,302 भादवि**	**रानीपुर**	**मऊ**
2	270/2003	3(1) गैंगेस्टर एक्ट	रानीपुर	मऊ
3	16/2004	307 भादवि व 7क्रि0ला0ए0एक्ट	कोतवाली	गाजीपुर
4	19/2004	3/25 आर्म्स एक्ट	कोतवाली	गाजीपुर
5	23/2004	8/20 एनडीपीएस एक्ट	कोतवाली	गाजीपुर
6	81/2004	3(1) गैंगेस्टर एक्ट	कोतवाली	गाजीपुर
7	**825/2006**	**302,120बी भादवि**	**चिरैयाकोट**	**मऊ**
8	960/2007	3(1) गैंगेस्टर एक्ट	रानीपुर	मऊ
9	484/2008	गुण्डा एक्ट	रानीपुर	मऊ
10	**1866/2009**	**147,148,149,325,307,302 भादवि**	**कोतवाली**	**मऊ**
11	**340/2009**	**302, 307,120बी, 34 भादवि व 7 कि0ला0ए0एक्ट**	**दुल्लहपुर**	**गाजीपुर**
12	356/2009	3/25 आर्म्स एक्ट	दुल्लहपुर	गाजीपुर

13	478/2009	384 भादवि	दुल्लहपुर	गाजीपुर
14	**399/2010**	**302, 307,120बी, 34 भादवि व 7 कि0ला0ए0एक्ट**	**दक्षिणटोला**	**मऊ**
15	891/2010	3(1) गैगेस्टर एक्ट	दक्षिणटोला	मऊ
16	47/2010	3(1) गैगेस्टर एक्ट	कोतवाली	मऊ
17	891/2010	3(1) गैगेस्टर एक्ट	दक्षिणटोला	मऊ
18	236/2012	386 भादवि	चिरैयाकोट	मऊ
19	601/2012	386 भादवि	रानीपुर	मऊ
20	**20/2014**	**147,148,149,302,307,506,120बी भादवि व 7 कि0ला0ए0एक्ट**	**तरवां**	**आजमगढ**
21	106/2017	गुण्डा एक्ट	चिरैयाकोट	मऊ
22	160/2020	गैगेस्टर एक्ट	तरवां	आजमगढ
23	31/2023	386, 506 भादवि	चिरैयाकोट	मऊ
24	41/2023	386, 506 भादवि	चिरैयाकोट	मऊ

इसके विरूद्ध अन्य अभियोगों के बारे में जानकारी की जा रही है। उपरोक्त मुठभेड़ के सम्बन्ध में थाना गोविन्दपुरी, जनपद–पूर्वी सिंहभूमि (जमशेदपुर) झारखण्ड में मु0अ0सं0 29/2025 धारा 190, 191(2), 191(3), 109, 121(1), 121(2), 118(2), 111(2)बी, 111(3), 111(4), 132, 221 बीएनएस व 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0, 25(1ए), 25(1बी), (4), 26, 27, 35, आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही थाना गोविन्दपुरी, जनपद–पूर्वी सिंहभूमि (जमशेदपुर) झारखण्ड द्वारा की जायेगी।

साहस उत्तर प्रदेश पुलिस उत्कृष्टता प्रतिबद्धता